भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

Azadi Ka Amrit Mahotsav

वार्षिक लेखा
2020-21

www.ibbi.gov.in

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

वार्षिक लेखा

2020-21

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
सातवां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001
टेलीफोन: +91 11 2346 2900
वैबसाइट : आई बी बी आई . जी ओ वी . इन

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	4
2.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	5-7
3.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	8
4.	तुलन पत्र	9
5.	आय एवं व्यय लेखा	10
6.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	11
7.	तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियाँ	12-19
8.	आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियाँ	20-24
9.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25-26
10.	अनिश्चित दायित्व और लेखायों पर टिप्पणियाँ	27-40
11.	लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन	41-42

प्रस्तावना

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के अनुसार 1 अक्तूबर, 2016 को की गई थी । यह संहिता के कार्यान्यन हेतु उत्तरदायी अर्थतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, जो कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों को, उद्यमिता, उधार की उपलब्धता का संवर्धन करने और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम सीमा तक ले जाने के लिए समेकित और संशोधित करता है ।

बोर्ड, दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं पर विनियमनकारी निगरानी रखता है । यह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं, अर्थात्, कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट समापन, व्यक्तिक दिवाला समाधान और व्यक्तिक शोधन अक्षमता के लिए नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है । इसका कार्य संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं और अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और पद्धतियों का विकास करना और उन्हें विनियमित करना है । इसे देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017 के अधीन 'प्राधिकारी' के रूप में पदांकित किया गया है ।

संहिता की धारा 223(1) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा । तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 1 मई, 2018 की अधिसूचना द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 तैयार किए ।

संहिता की धारा 223(2) में यह अपेक्षित है कि बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और पत्र सं. ए.एम.जी.-I/12(8)/आई.बी.बी.आई. वार्षिक लेखा/2020-21/2021-22/392-394, तारीख 3 जनवरी, 2022 द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की है ।

इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा यथा-प्रमाणित बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखा और उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है । इसे संहिता की धारा 223(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है ।

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) के 31 मार्च, 2021 को यथा-विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 223(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन लेखापरीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करना आई.बी.बी.आई. के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के संबंध में राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखांकन व्यवहार के संबंध में केवल सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं । विधियों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों के बारे में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथक् रूप में प्रतिवेदित किया गया है ।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है । इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा का आयोजन और कार्यनिष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, जांच आधारों पर उन साक्ष्यों की परीक्षा करना शामिल है जो वित्तीय विवरणियों में दर्शायी राशि और प्रकटन का समर्थन करते हैं । किसी लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किए गए है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ।

ii इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 के अधीन अनुमोदित लेखा प्ररूप में तैयार किए गए हैं ।

iii हमारी राय में, आई.बी.बी.आई द्वारा समुचित लेखा बहियां और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे गए हैं, जहां तक ऐसी बहियों की हमारे द्वारा की गई परीक्षा से प्रकट होता है ।

iv) हम इसके अतिरिक्त यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क.1 स्थिर आस्तियां (अनुसूची VIII): 2.46 करोड़ रुपए

क.1.1 सी.डब्ल्यू.आई.पी./विकासाधीन आस्तियां: 1.23 करोड़ रुपए

आई.बी.बी.आई. ने ई-ऑफिस, जिसके अंतर्गत फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई-फाइल एम.आई.एस. रिपोर्ट, जानकारी प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी मास्टर ब्यौरा, मास्टर डाटा प्रबंधन, दौरा प्रबंधन प्रणाली, छुट्टी प्रबंधन प्रणाली और छुट्टी एम.आई.एस. रिपोर्टें भी हैं, के क्रियान्वयन का कार्य एन.आई.सी.एस.आई. को आई.बी.बी.आई. मयूर भवन में किसी अनुकूलन के बिना सौंपा था और तारीख 28 सितम्बर, 2017 को 20.20 लाख रुपए का भुगतान किया था । छुट्टी प्रबंधन प्रणाली और छुट्टी एम.आई.एस. रिपोर्टों के सिवाय, सभी माड्यूल 12 नवम्बर, 2018 से प्रवर्तनशील हैं । चूंकि ई-ऑफिस के छुट्टी माड्यूल में शामिल छुट्टी नियम, आई.बी.बी.आई. के छुट्टी नियमों से संगत नहीं हैं इसलिए उनका प्रस्तुत रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था और इसलिए आई.बी.बी.आई. के बोर्ड ने (2021-22 में) छुट्टी मॉड्युल को कार्यालय में तैयार कराने का विनिश्चय किया ।

इस प्रकार, ई-ऑफिस के सृजन के लिए 20.20 लाख रुपए के भुगतान को चालू पूंजीगत कार्य के अधीन दर्शाने की बजाय, वर्ष 2018-19 में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 2018 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए अवमूल्यन का भी, जो 20.20 लाख रुपए बनता है (2018-19: 4.04 लाख रुपए, 2019-20: 8.08 लाख रुपए और 2020-21: 8.08 लाख रुपए) प्रावधान नहीं किया गया है ।

इसके परिणामस्वरूप सी.डब्ल्यू.आई.पी. को 20.20 लाख रूपए अधिक, पूर्व वर्षों के अवमूल्यन को 12.12 लाख रुपए कम और चालू वर्ष के अवमूल्यन को 8.08 लाख रुपए कम दर्शाया गया है । परिणामस्वरूप, वर्ष के अधिशेष को 8.08 लाख रुपए अधिक और समग्र निधि को 12.12 लाख रुपए अधिक दर्शाया गया है ।

ख. साधारण

ख.1 अनिश्चित दायित्व और लेखायों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची XXIII)

नोट सं. 9.7

आई.बी.बी.आई. ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि भारत के लोक लेखा के अधीन कारपोरेट समापन खाता खोलने के पश्चात्, किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांश और अवितरित आगमों के निक्षेप के लिए खोले गए पृथक् खाते में पड़े अतिशेष को कारपोरेट समापन खाते में अंतरित किया जाएगा।

इस प्रकार, नोट में उपर्युक्त सीमा तक कमी है ।

ग. सहायता अनुदान

आई.बी.बी.आई. के पास सहायता अनुदान का कोई आरंभिक अतिशेष नहीं था । आई.बी.बी.आई. ने 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान (साधारण) में 12 करोड़ रुपए और सहायता अनुदान (वेतन) में 14.58 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जिनमें से उसने 31 मार्च, 2021 तक वेतन में 15.31 करोड़ रुपए और सहायता अनुदान (साधारण) में 11.17 करोड़ रुपए का उपयोग किया है और 0.10 करोड़ रुपए का खर्च न किया गया अतिशेष रह गया है ।

घ. उन कमियों को, जिन्हें पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है, एक प्रबंधन पत्र द्वारा उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, आई.बी.बी.आई. की जानकारी में लाया जाएगा।

v) पूर्ववर्ती पैराओं में अपने प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है वे लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पढ़ने पर और ऊपर कथित महत्वपूर्ण विषयों और उपाबंध में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन रहते हुए, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं -

क) जहां तक उनका संबंध भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के 31 मार्च, 2021 को यथा-विद्यमान कामकाज की स्थिति के तुलनपत्र की स्थिति से है; और

ख) जहां तक उनका संबंध उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष संबंधी आय एवं व्यय लेखे से है ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता/-

(विधु सूद)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 03.01.2022

वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की पृथक् लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा, नियुक्त की गई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा कराई जा रही है और वह वर्ष 2020-21 के लिए पूरी कर ली गई है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आई.बी.बी.आई. में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार के अनुरूप है ।

3. स्थिर आस्तियों की अस्तित्व जांच की पद्धति

वर्ष 2020-21 के लिए स्थिर आस्तियों की अस्तित्व जांच, कोविड महामारी के कारण नहीं कराई गई थी ।

4. वस्तु-सूची की अस्तित्व जांच की पद्धति

आई.बी.बी.आई में 31 मार्च, 2021 को यथा-विद्यमान कोई वस्तु-सूची नहीं है ।

5. कानूनी देयों का भुगतान करने में नियमितता

आई.बी.बी.आई. ने वर्ष 2020-21 के दौरान कानूनी देयों का भुगतान नियमित रुप से किया था।

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.-I)

प्ररूप-'क'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 तक तुलनपत्र

(राशि रुपयों में)

निधि और दायित्व	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि	I	14,73,49,725	9,35,93,548
आरक्षितियां और अधिशेष	II	-	-
चिन्हित और अक्षय निधियां	III	-	-
प्रतिभूत ऋण और उधार	IV	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	V	-	-
आस्थगित प्रतय्य दायित्व	VI	3,17,000	2,92,500
वर्तमान दायित्व और उपबंध	VII	16,01,49,293	11,97,28,839
कुल		**30,78,16,018**	**21,36,14,887**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	VIII	2,45,53,730	2,18,38,385
निवेश - चिन्हित / अक्षय निधियों से	IX	-	-
निवेश - अन्य	X	3,68,43,688	2,53,49,789
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	XI	24,64,18,600	16,64,26,713
विविध व्यय (समाप्त या समायोजित होने तक)	-	-	-
कुल		**30,78,16,018**	**21,36,14,887**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित दायित्व और लेखायों पर टिप्पणियाँ	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

प्ररूप 'ख'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुदान/सहायता राशि	XII	26,58,00,000	21,50,00,000
शुल्क/अंशदान	XIII	5,37,99,433	5,45,36,965
निवेश से आय (निधियों में अंतरित किये गये चिन्हित/अक्षय निधियों में निवेश से प्राप्त आय)	XIV	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	XV	-	-
अर्जित ब्याज	XVI	53,38,323	53,08,672
अन्य आय	XVII	99,05,907	76,023
कुल (क)		**33,48,43,663**	**27,49,21,660**
व्यय			
स्थापना व्यय	XVIII	15,32,07,204	12,00,51,205
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	XIX	12,30,33,789	12,99,03,981
अनुदान/सहायता राशि सम्बन्धी व्यय	XX	-	-
ब्याज	XXI	-	-
अवमूल्यन (अनुसूची VIII से सम्बंधित वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल योग)	XXII	48,46,493	51,38,934
कुल (ख)		**28,10,87,486**	**25,50,94,120**
व्यय से अधिक की आय का शेष (क-ख) विशेष आरक्षिति में अंतरण सामान्य आरक्षिति में/से अंतरण		5,37,56,177	1,98,27,540
समूह/पूंजी निधि में अंतरित किये गये अधिशेष (कमी)		**5,37,56,177**	**1,98,27,540**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXII		
अनिश्चित दायित्व और लेखायों पर टिप्पणियाँ	XXIII		

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

प्ररूप 'ग'

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
आरंभिक अतिशेष			I. व्यय		
(क) नकदी	59,058		क) स्थापना व्यय (अनुसूची XVIII से सम्बंधित)	11,38,05,530	9,57,31,786
(ख) बैंक में अतिशेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची XIX से सम्बंधित)	10,77,59,150	12,75,85,830
(i) चालू खातों में	7,09,55,419	1,24,42,772	ग) इनपुट (निवेश) जी.एस.टी.	94,73,408	1,27,80,454
(ii) जमा खातों में	7,00,00,000	8,00,00,000			
(iii) बचत खातों में	-	-			
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं की निधि के लिए किये गए भुगतान (निधि या परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान ब्योरे सहित दर्शाया जाना चाहिए)	-	-
(क) भारत सरकार से	26,58,00,000	21,50,00,000			
(ख) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के नुदान को पृथक् रूप से दर्शाया जायेगा)	-	-			
III. निवेश प्रारूप सम्बन्धी आय			III.निम्नलिखित में से किए गए निवेश और जमा		
(क) चिन्हित/अक्षय निधियां	-	-	क)चिन्हित/अक्षय निधियों में से	-	-
(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियां (निवेश-अन्य)	-	-	(ख) स्वामित्व प्राप्त निधियों में से (निवेश-अन्य)	95,17,398	95,07,082
IV.प्राप्त ब्याज			IV.स्थिर आस्तियों और प्रगतिशील पूंजी सम्बन्धी व्यय		
(i) बैंक जमा	80,88,084	73,91,391	क) स्थिर आस्तियों की खरीद	75,61,839	1,52,84,919
(ii) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) प्रगतिशील पूंजी सम्बन्धी व्यय	-	-
V. अन्य आय (आंतरिक साधनों के माध्यम से जनित)			V.अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
आवेदन फीस	5,37,77,764	5,58,88,255	क) भारत सरकार को	-	-
विविध आय	87,907	76,023	ख) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	-	-
VI. उधार ली गई राशि	-	-	VI. वित प्रभार (ब्याज)	-	-
VII. अन्य कोई प्राप्तियां			VII. अन्य भुगतान		
प्रतिभूति जमा	10,00,000	-	क) प्रतिभूति जमा	10,00,000	12,00,000
दिवाला व्यावसायिक - अन्य फीस	37,000	2,500	ख) टी.डी.एस. भुगतान	2,99,12,582	2,54,46,257
पूर्ववर्ती वर्ष के प्राप्त अग्रिम	18,653	7,962	ग) जी.एस.टी. भुगतान	26,12,358	9,91,110
प्राप्त आउटपुट (उत्पादन) जी.एस.टी.	96,70,033	95,50,636	घ) ऋण और अग्रिम	9,25,613	45,27,835
शास्ति - सी.एफ.आई.	75,31,222	-	ङ) सी.एफ.आई. में ब्याज और शास्ति	69,46,199	48,65,041
समापन और स्वैच्छिक समापन के अदावाकृत आगम	2,28,24,718	5,85,75,252	VIII. अंतिम अतिशेष		
			क) नकदी	466	59,058
			ख) बैंक अतिशेष		
			i) पी.एन.बी. में चालू और स्वीप खाते में	11,83,35,315	7,09,55,419
			ii) जमा खातों में	10,20,00,000	7,00,00,000
			iii) बचत खातों में	-	-
कुल	**50,98,49,858**	**43,89,34,791**	**कुल**	**50,98,49,858**	**43,89,34,791**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियां

अनुसूची-I

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निधि (अनुसूची XXIII का नोट सं. 7 देखिए)

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष राशि	9,35,93,548	7,88,46,898
जमा: निधि में किया गया अंशदान	-	-
जमा/(कटौती करें): आय और व्यय खाते से अंतरित आय/(व्यय) का अतिशेष	5,37,56,177	1,98,27,540
जमा/(कटौती करें): आरंभिक निधि से समायोजन	-	-50,80,890
वर्ष के अंत में अतिशेष राशि	**14,73,49,725**	**9,35,93,548**

अनुसूची-II

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

आरक्षितियां और अधिशेष

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. अंतिम लेखा के अनुसार पूंजी आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
2. अंतिम लेखा के अनुसार मूल्यांकन आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
3. अंतिम लेखा के अनुसार विशेष आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
4. अंतिम लेखा के अनुसार साधारण आरक्षिति वर्ष के दौरान जोड़े गये घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियां

अनुसूची-III

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

चिन्हित/अक्षय निधियां

(राशि रुपयो में)

	निधि-वार विवरण				योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	-	-	-	-	-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन						
(i) दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-
(ii) निधियों के खाते में से किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-
(iii) अन्य परिवर्धन (प्रकर्ति स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोगिता/व्यय						
(i) पूंजी व्यय						
- स्थिर आस्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
(ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
कुल (ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख-ग)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियां
अनुसूची-IV [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं		
(क) अवधि ऋण	-	-
(ख) अर्जित ब्याज और देय	-	-
3. बैंक		
(क) अवधि ऋण अर्जित ब्याज और देय	-	-
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

अनुसूची-V [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
अप्रतिभूत ऋण और उधार

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. वित्तीय संस्थाएं	-	-
3. बैंक		
(क) अवधि ऋण	-	-
(ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-
4. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	-	-
5. डिबेंचर और बांड	-	-
6. स्थिर जमा	-	-
7. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियां

अनुसूची-VI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

आस्थगित प्रतय्य दायित्व

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.पूंजी उपकरण और अन्य आस्तियों के मालबंधक (हाईपोथीकेशन द्वारा प्रतिभूत सविकृतियाँ)		-
2. अन्य		
-आई.पी.-अन्य फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 8 देखें)	3,17,000	2,92,500
कुल	**3,17,000**	**2,92,500**
नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि	1,77,500	1,92,500

अनुसूची-VII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

वर्तमान दायित्व और उपबंध

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
क. वर्तमान दायित्व				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध लेनदार				
(क) माल के लिए		-		-
(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.1 देखें)		63,52,939		4,97,630
3. प्राप्त अग्रिम (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.2 देखें)		19,17,690		20,18,876
4. ब्याज प्रोद्भूत किन्तु निम्नलिखित पर देय नहीं				
(क) प्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
(ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
5. कानूनी दायित्व				
(क) अतिरिक्त		-		-
(ख) अन्य		-		-
सी.पी.एफ. अभिदाय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.3 देखें)	3,16,80,776		2,23,38,061	
एन.पी.एस.अभिदाय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.4 देखें)	3,30,582		6,05,744	
देय टी.डी.एस. (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.5 देखें)	32,45,980	3,52,57,338	23,24,699	2,52,68,504
6. अन्य वर्तमान दायित्व				
प्रतिभूति निक्षेप (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.6 देखें)	5,00,000		5,00,000	
अदावाकृत आगम (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.7 देखें)	8,13,99,970		5,85,75,252	
सहायता अनुदान और अदावाकृत आगमों पर ब्याज	34,60,816		22,75,789	

(अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.8 देखें)				
अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 9.9 देखें)	1,01,09,190	9,54,69,976	28,42,796	6,41,93,837
कुल (क)		**13,89,97,943**		**9,19,78,847**
ख. उपबंध				
1. कराधान के लिए		-		-
2. उपदान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.1 देखें)		17,78,005		12,42,720
3. सेवानिर्विति/पेंशन				
प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए प्रावधान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.2 देखें)				
- पेंशन मद्धे	15,11,838		16,93,980	
- छुट्टी वेतन अभिदाय मद्धे	27,72,110	42,83,948	34,62,485	51,56,465
4.संचित छुट्टी नकदीकरण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.3 देखें)		45,38,249		28,63,182
5. व्यापार वारही/दावा		-		-
6.अन्य				
- विद्युत	1,50,404		1,47,188	
- किराया (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.4 देखें)	5,60,000		1,01,38,000	
- वेतन (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.5 देखें)	26,00,518		20,00,098	
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर स्टॉफ	11,05,768		10,22,373	
-व्यावसायिक प्रभार	22,61,363		7,30,255	
-टेलीफोन	19,943		23,329	
-दौरा एवं यात्रा	7,861		2,02,021	
-आतिथ्य सत्कार	50,294		28,116	
-लेखापरीक्षण फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.6 देखें)	6,99,130		99,000	
-परीक्षा व्यय	14,17,480		22,09,502	
-प्रकीर्ण व्यय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.7 देखें)	16,78,387	1,05,51,148	18,87,743	1,84,87,625
कुल(ख)		**2,11,51,350**		**2,77,49,992**
कुल (क+ख)		**16,01,49,293**		**11,97,28,839**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

अनुसूची-VIII [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्थिर आस्तियां

(राशि रुपयो में)

	कुल संपत्तियां				अवमूल्यन				निवल संपत्तियां	
विवरण	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़े गये	वर्ष के दौरान घटाए गये	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान घटाए गये	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्व वर्ष के अंत में
क.स्थिर आस्तियां										
1.भूमि										
(क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.भवन										
(क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाधृत भूमि पर (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	46,32,374	-	-	46,32,374	4,63,237	4,63,237	-	9,26,474	37,05,900	41,69,137
(ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) भूमि पर ऐसी अधिरचनाएं, जो संस्था की नहीं हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. यान	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-
5. फर्नीचर और फिक्सचर (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	6,43,305	-	-33,000	6,10,305	1,38,834	61,030	-12,585	1,87,279	4,23,026	5,04,471
6. कार्यालय उपकरण (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	43,71,239	5,69,689	-71,400	48,69,528	8,90,032	4,73,787	12,585	13,76,404	34,93,122	34,81,206
7. कम्प्यूटर/पेरिफेरल (अनुसूची XXIII का नोट सं. 11.1 देखें)	1,15,08,609	22,22,537	-1,49,035	1,35,82,111	1,04,23,268	27,54,166	-	1,31,77,434	4,04,677	10,85,341
8. इलेक्ट्रॉनिक इंस्टालेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--
9. पुस्तकालय पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. ट्यूबवैल और जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थिर आस्तियां - वैबसाइट (अनुसूची XXIII का नोट सं.11.1 और 11.2 देखें)	-	53,00,211	-	53,00,211	-	10,94,273	-	10,94,273	42,05,938	-
चालू वर्ष का कुल	**2,11,55,527**	**80,92,437**	**-2,53,435**	**2,89,94,529**	**1,19,15,371**	**48,46,493**	**-**	**1,67,61,864**	**1,22,32,663**	**92,40,154**
पूर्व वर्ष का कुल	**1,47,22,328**	**69,39,876**	**-5,06,677**	**2,11,55,527**	**67,76,437**	**51,38,934**	**-**	**1,19,15,371**	**92,40,154**	**79,45,888**
ख. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/विकासाधीन आस्तियां (अनुसूची XXIII का नोट सं.11.2 देखें)	1,25,98,231	59,77,083	-62,54,247	1,23,21,067	-	-	-	-	1,23,21,067	1,25,98,231
कुल	**3,37,53,758**	**1,40,69,520**	**-65,07,682**	**4,13,15,596**	**1,19,15,371**	**48,46,493**	**-**	**1,67,61,864**	**2,45,53,730**	**2,18,38,385**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियां

अनुसूची-IX

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. अनुषंगी और संयुक्त उधम	-	-
6. अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुसूची-X

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

निवेश - अन्य

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. अनुषंगी और संयुक्त उधम	-	-
6. अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं.12 देखें)	-	-
- सी.पी.एफ. मद्धे धारित निधियां	3,32,98,183	2,48,01,528
- उपदान मद्धे धारित निधियां	9,44,593	5,48,261
- शास्ति की राशि जमा कराने मद्धे धारित निधियां	26,00,912	-
कुल	**3,68,43,688**	**2,53,49,789**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार तुलनपत्र की भागस्वरुप अनुसूचियां

अनुसूची-XI [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रुपयो में)

क	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	वर्तमान आस्तियां:				
	1.ऋण				
	(क) छह मास से अधिक अवधि के लिए देय ऋण		-		-
	(ख) अन्य (अनुसूची XXIII का नोट सं. 13 देखें)		1,82,454		35,576
	2. नकद अतिशेष (चैक/ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, इम्प्रेस्ट और नकद विदेशी मुद्रा सहित) (अनुसूची XXIII का नोट सं. 14 देखें)		466		59,058
	3. बैंक अतिशेष				
	(क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	पंजाब नैशनल बैंक में अतिशेष (अनुसूची XXIII का नोट सं. 15 देखें)		11,83,35,315		7,09,55,419
	पब्लिक सेक्टर बैंकों में जमा (अनुसूची XXIII का नोट सं. 15 देखें)		10,39,67,849		7,17,18,518
	(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के पास				
	- चालू खाते में		-		-
	- जमा खाते में		-		-
	- बचत खाते में		-		-
	4. डाकघर - बचत खाता		-		-
	कुल (क)		**22,24,86,084**		**14,27,68,571**
ख	**ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां**				
	1.निम्नलिखित को ऋण				
	(क) स्टाफ		**-**		**-**
	(ख) संस्था के क्रियाकलापों/उद्देश्यों के समरूप क्रियाकलापों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		**-**		**-**
	(ग) अन्य (स्पष्ट करें)		**-**		**-**
	2. नकद या वस्तु प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में अन्य वापसी योग्य अग्रिम और राशि				
	(क) पूंजीगत खाते पर	**-**		**-**	
	(ख) पूर्व भुगतान (अनुसूची XXIII का नोट सं. 16 देखें)	1,45,41,367		1,71,17,047	
	(ग) अन्य				
	- वसूली योग्य जी.एस.टी.	71,24,832		47,09,099	
	- वसूली योग्य टी.डी.एस.	10,02,232		12,88,832	
	- प्रतिभूति निक्षेप	4,72,000		4,72,000	
	- वसूली योग्य विविध	7,92,085		71,164	
	- स्टाफ	-	2,39,32,516	-	2,36,58,142
	3. अर्जित आय				
	(क) चिन्हित/अक्षय निधियों से किये गये निवेश पर		-		-
	(ख) निवेश - अन्य पर		-		-
	(ग) ऋण और अग्रिमों पर		-		-
	(घ) अन्य		-		-
	4. प्राप्य दावा		-		-
	कुल (ख)		**2,39,32,516**		**2,36,58,142**
	कुल (क+ख)		**24,64,18,600**		**16,64,26,713**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची-XII [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अनुदान/परिदान (वापस ना किये जाने वाले अनुदान और परिदान)

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार (अनुसूची XXIII का नोट सं. 7 देखें)	26,58,00,000	21,50,00,000
2. सरकारी अभिकरण	-	-
3. संस्थाएं/कल्याण निकाय	-	-
4. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
5. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**26,58,00,000**	**21,50,00,000**

अनुसूची-XIII [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

शुल्क/अभिदाय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. फिलिंग शुल्क - आवेदन की फीस (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.1 देखें)		
- दिवाला व्यावसायिक	50,60,00	55,40,000
- दिवाला व्यावसायिक एजेंसी	15,00,000	15,00,000
- सूचना उपयोगिताएं	50,19,016	50,00,000
- पंजीकृत मूल्यांकक	48,85,000	94,15,000
- पंजीकृत मूल्यांकक संगठन	4,00,000	1,00,000
- दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं	9,75,799	15,20,340
- परीक्षा शुल्क - सीमित दिवाला परीक्षा	67,69,068	75,33,051
- मूल्यांकन परीक्षा	1,51,94,136	1,39,78,288
- आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक शुल्क	1,13,69,948	87,55,896
- सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने का शुल्क	25,73,500	-
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.2 देखें)	-	11,16,000
4. परामर्शी शुल्क		-
5. अन्य - भर्ती से आवेदन शुल्क		-
- शिकायत फाइल करने का शुल्क (अनुसूची XXIII का नोट सं. 17.3 देखें)	52,966	78,390
कुल	**5,37,99,433**	**5,45,36,965**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियां
अनुसूची-XIV [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
निवेश से आय
(चिन्हित/अक्षय निधियों में अंतरित होने वाली निधियों में निवेश से आय)

(राशि रुपयो में)

	चिन्हित निधियों से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुसूची-XV
[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	(डॉ शशांक सक्सेना)	(डॉ एम. एस. साहू)
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति	अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची-XVI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अर्जित ब्याज

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आवधिक जमा पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ (अनुसूची XXIII का नोट सं. 18 देखें)	53,38,323	53,08,672
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ग) संस्थाओं के साथ	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
(ग) डाकघर बचत खाते	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. ऋणियों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	**53,38,323**	**53,08,672**

अनुसूची-XVII

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अन्य आय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. आस्तियों के विक्रय/व्ययन से लाभ		
(क) स्वामित्वाधीन आस्तियां	-	-
(ख) अनुदानों से अर्जित या निशुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	55,896	76,023
3. विविध आय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 10.4 देखें)	98,50,011	-
कुल	**99,05,907**	**76,023**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची-XVIII [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

स्थापना व्यय **(राशि रुपयो में)**

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	10,79,08,004	8,74,24,352
(ख) भत्ते और बोनस	3,14,37,578	2,15,10,054
(ग) भविष्य निधि/अधिवार्षिकी निधि में अंशदान	26,56,640	20,39,339
(घ) अन्य निधि में अंशदान - एन.पी.एस.	31,10,470	22,83,818
(ङ) कर्मचारीवृन्द कल्याण व्यय	-	-
(च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति लाभ सम्बन्धी खर्चे	80,94,512	67,93,642
(छ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**15,32,07,204**	**12,00,51,205**

अनुसूची-XIX [नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अन्य प्रशासनिक व्यय **(राशि रुपयो में)**

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) खरीद	-	-
(ख) श्रम और प्रोसेसिंग व्यय	-	-
(ग) गाडी भाड़ा और वहन अभियन्त्र	-	-
(घ) विद्युत और शक्ति	19,66,712	19,13,534
(ङ) जल प्रभार	6,63,142	2,41,337
(च) बीमा	-	-
(छ) मरम्मत और रखरखाव	34,64,348	52,16,760
(ज) किराया, दरें और कर	3,04,90,181	2,80,45,976
(झ) यान चालन, रखरखाव या भाड़ा प्रभार	11,51,649	20,98,650
(ञ) डाकखर्च, टेलीफोन और संपर्क प्रभार	26,14,932	19,03,370
(ट) मुद्रण और लेखन-सामग्री	31,68,239	35,40,743
(ठ) यात्रा और परिवहन व्यय (अनुसूची XXIII का नोट सं. 6.2 देखें)	6,77,298	1,20,55,674
(ड) सेमीनार/कार्यशालाओं पर व्यय	6,97,425	34,05,010
(ढ) अंशदान व्यय	2,98,193	6,45,897
(ण) शुल्क सम्बन्धी व्यय	8,83,427	10,04,941
(त) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/कानूनी शुल्क	15,78,560	2,80,000
(थ) आतिथ्य सत्कार व्यय	6,43,463	23,71,344
(द) व्यावसायिक प्रभार	3,86,96,277	3,24,50,535
(ध) डूबन्त और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
(न) वापस न होने वाले समाप्त शेष	1,88,791	-
(प) पैकिंग प्रभार	-	-
(फ) भाड़ा और अग्रेषण व्यय	-	-
(ब) वितरण व्यय	-	-
(भ) विज्ञापन और प्रचार व्यय	-	-
(म) अन्य	-	
- बाह्य स्रोतों से संविदा पर रखे गए स्टॉफ को भुगतान	1,70,15,416	1,68,22,664
- सलाहकार समिति और बोर्ड की बैठकों पर व्यय	3,66,200	1,54,000
- पुस्तकें और पत्रिकाएँ	81,339	1,21,911
- प्रकाशन व्यय	4,06,000	12,23,500
- परीक्षा प्रशासक शुल्क	1,64,12,270	1,53,02,320
- विविध व्यय	15,69,927	11,05,815
कुल	**12,30,33,789**	**12,99,03,981**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय एवं व्यय लेखों की अनुसूचियां

अनुसूची-XX

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

अनुदान, परिदान आदि सम्बन्धी व्यय

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई सहायता राशि	-	-
कुल	**-**	**-**

अनुसूची-XXI

[नियम 4 का उप-नियम (1) देखिए)]

ब्याज

(राशि रुपयो में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) स्थिर ऋणों पर	-	-
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	-	-
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 24.09.2021

अनुसूची XXII
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("संहिता") की धारा 223(1) में बोर्ड से ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी.एंड ए.जी.) के परामर्श से विहित करे, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करने की अपेक्षा की गई है । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 1 मई, 2018 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप) नियम, 2018 अधिसूचित किए।

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणियां, अनुसूची XXIII में नोट 17.1 (छ) के अधीन रहते हुए, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मापदंडों और साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार की जाती हैं ।

2. निवेश

2.1 "दीर्घकालिक निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की लागत का वहन करने में, अस्थायी के अलावा, गिरावट के लिए प्रावधान किया जाता है।

2.2 "वर्तमान" के रूप मे वर्गीकृत निवेश निचली लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं । ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है क्योंकि प्रत्येक निवेश को वैशविक आधार पर तैयार न करके व्यैक्तिक आधार पर समझा जाता है।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे दलाली, अंतरण स्टांप सम्मिलित है ।

3. स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को वास्तविक मूल्य से अवमूल्यन को घटा कर तथा यदि कोई हानि हो, प्रावधान किया जाता है। लागत में अधिग्रहण खर्च तथा निर्माण/संस्थापक तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होते है जो संपत्ति को उसके आश्तयण उपयोग हेतु कार्य करने की दशा में लाने के लिए आवश्यक है।

4. अवमूल्यन

4.1 आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट-लाइन पद्धति के आधार पर अवमूल्यन का प्रावधान किया जाया है। स्थिर आस्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा दायित्वों के संपरिवर्तन के कारण उद्भूत होने वाले लागत-समायोजनों पर अवमूल्यन संबंधित आस्तियों के अवशिष्ट समय में परिशोधित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों में परिवर्धनों/कटौतियों के सम्बन्ध में समानुपातिक आधार पर अवमूल्यन किया जाता है।

4.3 ऐसी प्रत्येक आस्ति के लिए, जिसका अर्जन मूल्य 5,000/- रुपए या उससे कम है, उसके अर्जन के वर्ष में पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है।

5. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को उस वर्ष से, जिसमें वह अर्जित होता है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त कर दिया जाता है।

6. राजस्व मान्यता

राजस्व को, अनुसूची-XXIII में नोट 17.1 (छ) के अधीन रहते हुए प्रोद्भवन आधार पर माना जाता है ।

7. सरकारी अनुदान/परिदान

7.1. किसी परियोजना को स्थापित करने के लिए पूंजी लागत में दिए गए अंशदान की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षण के रूप में समझा जाता है।

7.2. अर्जित की गई विनिर्दिष्ट स्थिर आस्तियों की बाबत किए गए अनुदानों को संबंधित आस्तियों की लागत में से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

7.3. सरकारी अनुदानों का लेखांकन, वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन, प्रोदभूत आधार पर किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

8.1. विदेशी मुद्रा में अंकित संव्यवहारों का लेखांकन, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

8.2. यदि विदेशी मुद्रा दायित्व का संबंध स्थिर आस्तियों से है तो वर्तमान आस्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और वर्तमान दायित्वों को, वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और पारिणामिक लाभ/हानि को, स्थिर आस्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है और अन्य मामलों में उसे राजस्व समझा जाता है।

9. पट्टा

पट्टा किराया को पट्टा अवधि के सन्दर्भ में व्यय किया जाता है ।

10. सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ

10.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी सम्बन्धी देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर जोड़ा जाता है ।

10.2. कर्मचारियों के संग्रहीत अवकाश नकदीकरण लाभ सम्बन्धी उपबंध को यह मानकर जोड़ा और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में उस लाभ को प्राप्त करने के हकदार हैं ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 24.09.2021

अनुसूची-XXIII
अनिश्चित दायित्व और लेखायों पर टिप्पणियां

1. अनिश्चित दायित्व

1.1 संस्था के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - शून्य रुपए ।

(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.2 संस्था द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटियों की बाबत - शून्य रुपए ।

(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

बैंक द्वारा संस्था की ओर से खोले गए प्रत्यय-पत्रों की बाबत - शून्य रुपए ।

(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

बैंकों द्वारा मितिकाटे पर भुगतान किए गए बिल - शून्य रूपए ।

(पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगें:

आय-कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

जी.एस.टी. - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

नगरपालिक कर - शून्य रुपए (पूर्व वर्ष - शून्य रूपए) ।

1.4 पक्षकारों द्वारा आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए किए गए दावों की बाबत, जिनका संस्था द्वारा विरोध किया गया - शून्य रूपए (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं: शून्य

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तपोषण पट्टा ठहरावों के अधीन किराए के लिए भावी बाध्यताओं की राशि शून्य रुपए है । (पूर्व वर्ष -शून्य रुपए) ।

4. वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, वर्तमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, कारबार के साधारण अनुक्रम में वसूली करने पर कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल राशि के समान है ।

5. कराधान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तारीख 1 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 423(अ) द्वारा अधिसूचित बोर्ड की अधिसूचित लेखांकन नीति की अनुसूची XXIII के पैरा 5 को ध्यान में रखते हुए, जो निम्न प्रकार पठित है "आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई कराधेय आय न होने के कारण, आय-कर के लिए कोई उपबंध करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।" इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने तारीख 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 38/2018 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46 के अधीन छूट का उपबंध किया है । (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

6. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

6.1 सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य : लागू नहीं होता है ।

- तैयार माल का क्रय

- कच्ची सामग्री और संघटक (जिसके अंतर्गत अभिवहन में कच्ची सामग्री और संघटक भी हैं)

- पूंजीगत माल

- भंडार, पुर्जे और खपने योग्य सामग्री

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:

(i) यात्रा - (चालू वर्ष - 1,34,127/- रुपए) (पूर्व वर्ष - 35,33,317/- रुपए) ।

राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई विदेशी दौरा आयोजित नहीं किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान की गई 1,34,127/- रुपए की राशि के बिल वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित हैं।

(ii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किए गए विप्रेषण और ब्याज का संदाय: (चालू वर्ष - शून्य रूपए) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

(iii) अन्य व्यय (चालू वर्ष - अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संगम को भुगतान की गई सदस्यता फीस - 52,895/- रुपए (पूर्व वर्ष - 1,12,092/- रुपए) ।

(iv) विक्रय पर कमीशन (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष - शून्य रुपए) ।

(v) विधिक और वृत्तिक व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

(vi) विविध व्यय (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6.3 विदेशी मुद्रा में उपार्जन: (चालू वर्ष - शून्य रुपए) (पूर्व वर्ष- शून्य रुपए) ।

6क. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखापरीक्षकों के रूप में:

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणन के लिए
- अन्य - सी. एंड ए.जी. लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, जी.एस.टी. और आर.टी.आई. लेखापरीक्षा (चालू वर्ष - 15,78,560/- रुपए) । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपगत 11,53,060/- रुपए की राशि का व्यय, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सी.एंड ए.जी. लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा व्यय से संबंधित है ।(पूर्व वर्ष - 2,80,000/- रुपए) ।

7. सरकारी अनुदान

7.1 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन आई.सी.ए.आई. के लेखांकन मानक बोर्ड (ए.एस.बी.) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक-12 (अब आई.ए.एस. 20) के अनुसार किया गया है । इसके अतिरिक्त, जैसा अनुसूची XXII - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - के नोट 7 के अधीन उपबंधित है, सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली के आधार पर किया जाता है और उपयोगिता का लेखांकन प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है ।

बोर्ड की निधि का गठन संहिता की धारा 222 के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जो कि निम्नलिखित रूप में है:

"(1) दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा –

(क) बोर्ड द्वारा इस संहिता के अधीन प्राप्त किए गए सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) बोर्ड द्वारा ऐसे सभी स्रोतों से, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) ऐसी अन्य निधियां, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाएगा -

(क) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) धारा 196 के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय;

(ग) इस संहिता द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाएं ।"

7.2 निधि की स्थिति (सहायता अनुदान और आंतरिक प्राप्तियां) और बोर्ड द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान (सहायता अनुदानों और आंतरिक प्राप्तियों में से) उनका उपयोग तथा 31 मार्च, 2021 को यथा-विद्यमान सहायता अनुदानों का खर्च न किया गया अतिशेष, पूर्व वर्ष के आंकड़ों सहित निम्नलिखित रूप में है:

(लाख रुपयों में)

बजट शीर्ष	**2019-20**				**2020-21**				
	प्रारंभिक अतिशेष	**प्राप्तियां**	**उपयोगिता**	**खर्च न किया गया अतिशेष**	**प्राप्तियां**	**उपयोगिता**	**स्थिर आस्तियां**	**शुद्ध अग्रिम**	**खर्च न किया गया अतिशेष**
	1	**2**	**3**	**4=1+2+3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9=4+5-(6+7+8)**
सहायता अनुदान (साधारण)	-	950.00	950.00	-	1200.00	1066.21	75.62	-24.38	82.55**
सहायता अनुदान (वेतन)	-	1200.00	1200.00	-	1458.00	1532.07	-	-1.37	-72.70**
सहायता अनुदान (पूंजीगत)	123.54	-	123.54	-	-	-	-	-	-
पूर्ण योग (क)	***123.54***	***2150.00***	***2273.54***	***-***	***2658.00***	***2598.28***	***75.62***	***-25.75***	***9.85***
आंतरिक रूप से जनित राजस्व	*339.54*	*599.22*	*392.38**	*546.38*	*690.43*	*164.12*	-	-	*1072.69*
सकल योग (क+ख)	***463.08***	***2749.22***	***2665.92***	***546.38***	***3348.43***	***2762.40***	***75.62***	***-25.75***	***1082.54***

*वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी. लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पूरी हो गई थी और इसलिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जी.एस.टी. दायित्व के रूप में 8,80,784/- रुपए का भुगतान बोर्ड की प्रारंभिक निधि में से किया गया था। इसके अलावा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त सहायता अनुदानों पर ब्याज की 40,14,041/- रुपए की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय को विप्रेषित कर दी गई थी। इसके साथ-साथ, पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्भूत सहायता अनुदानों पर ब्याज की 1,86,065/- रुपए की राशि वित्तीय वर्ष

2019-20 के दौरान दायित्व के रूप में सृजित की गई थी और प्रारंभिक निधि में से उसका समुचित समायोजन किया गया था।

**सहायता अनुदान- वेतन के अधीन निधियों में 72.70 लाख रुपए की राशि की कमी का वित्तपोषण सहायता अनुदान-साधारण में से किया गया है जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय से नियमित करने की विनती की जा रही है।

7.3. 31.03.2021 को यथा-विद्यमान, निधियों के संघटक निम्नलिखित रूप में हैं:

विशष्टियां	राशि (रुपयों में)
वर्ष की समाप्ति पर स्थिर आस्तियां/पूंजीगत डब्ल्यू.आई.पी.(शुद्ध)	2,45,53,730
अनुपयोग किया गया सहायता अनुदान	9,85,119
विक्रेताओं को भुगतान किए गए ऐसे अग्रिम, जो व्यय के रूप में माने जाने के लिए लंबित हैं	1,45,41,367
बोर्ड के आंतरिक प्रोद्भवनों से जनित निधियां	10,72,69,509
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम निधि	**14,73,49,725**

8. आस्थगित उधार दायित्व

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 में सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायत और परिवाद फाइल करने का उपबंध है, जिसके विनियम 7 के उप-विनियम (8) में इस प्रकार उपबंध किया गया है *"जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा"* । ऐसे परिवादों के संबंध में, जो प्रक्रियाधीन हैं, प्राप्त 3,17,000/- रुपए की राशि को अनुसूची VI "आस्थगित उधार दायित्व" के अधीन दायित्व के रूप में रखा गया है (पूर्व वर्ष - 2,92,500/- रुपए)

9. वर्तमान दायित्व

9.1 63,52,939/- रुपए की राशि के विविध लेनदारों के अंतर्गत ऐसे विक्रेताओं के प्रति दायित्व सम्मिलित हैं जो नैमित्तिक प्रकृति के हैं । (पूर्व वर्ष 4,97,630/-) ।

9.2 प्राप्त किए गए अग्रिमों के अंतर्गत बोर्ड के पास आई.पी./आई.पी.ई./आर.वी./आर.वी.ओ. के रूप में रजिस्ट्रीकरण/मान्यता के लिए सेवा प्रदाताओं और आवेदकों से प्राप्तियां भी शामिल हैं । (चालू वर्ष - 19,17,690/- रुपए - जी.एस.टी. संघटक के बाद शुद्ध) (पूर्व वर्ष 20,18,876/- रुपए - जी.एस.टी. संघटक के बाद शुद्ध) ।

9.3 सी.पी.एफ. मद्धे अभिदाय की 3,16,80,776/- रुपए की राशि (ब्याज सहित), केनरा बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और मासिक अभिदाय को पंजाब नैशनल बैंक के पास आवर्ती निक्षेप में अंतरित कर दिया गया है (पूर्व वर्ष - सी.पी.एफ. अभिदाय, उस पर ब्याज सहित 2,23,38,061/- रुपए था) ।

9.4 3,30,582/- रुपए का एन.पी.एस. अभिदाय, 31 मार्च, 2021 को यथा-विद्यमान कर्मचारियों के अपने-अपने एन. पी.एस. खातों में प्रेषित किए जाने के लिए लंबित अतिशेष से संबंधित है । यह प्रेषण अब कर दिया गया है । (पूर्व वर्ष - 6,05,744/- रुपए) ।

9.5 स्रोत पर काटे गए कर (टी.डी.एस.) के 32,45,980/- रुपए के देय वितीय वर्ष 2021-22 में आय-कर और जी.एस.टी. प्राधिकारियों के पास सम्यक् रूप से जमा करा दिए गए हैं । (पूर्व वर्ष - 23,24,699/- रुपए के टी.डी.एस. देय जमा किए गए) ।

9.6 5,00,000/- रुपए की राशि एन.एस.ई.-आई.टी. लिमिटेड से सीमित दिवाला परीक्षा के प्रशासन के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त की गई है । (पूर्व वर्ष - 5,00,000/- रुपए) ।

9.7 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 और भारतीय दिवाला और

शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के क्रमशः विनियम 46 और विनियम 39 में बोर्ड के लिए यह उपबंध किया गया है कि किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई हैं और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की राशि को जमा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोला जाए । तदनुसार, बोर्ड ने क्रमशः समापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करने के लिए दो पृथक् खाते खोले हैं । चालू वर्ष की समाप्ति पर इन खातों में पड़ा अतिशेष 8,13,99,970/- रुपए है । (पूर्व वर्ष - 5,85,75,252 रुपए) ।

9.8 सहायता अनुदानों पर ब्याज के रूप में अर्जित 6,48,444/- रुपए, शास्ति की राशि पर ब्याज के रूप में अर्जित 1,03,970/- रुपए की राशि, जो बोर्ड के पास जमा की गई है और समापन और स्वैच्छिक समापन के अवितरित आगमों पर ब्याज के रूप में अर्जित 27,08,402/- रुपए की राशि, जो बोर्ड के पास जमा की गई है, 31 मार्च, 2021 तक भारत की समेकित निधि में प्रेषित की जानी है । (पूर्व वर्ष - 22,75,789/- रुपए) ।

9.9 अन्य चालू दायित्व - अन्य के अंतर्गत (i) 69,15,175/- रुपए का संबंध उन अधिकारियों के, जो प्रतिनियुक्ति/अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, मूल संगठनों या कर्मचारियों को संदत्त किए जाने वाले वेतन से संबंधित प्रेषणों से है; (ii) 42,500/- रुपए उन परिवादियों को, जहां परिवादों को अतुच्छ मानकर विनिश्चित किया गया है, देय प्रतिदायों के लिए हैं, (iii) 9,440/- रुपए और 6,42,075/- रुपए क्रमशः सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों को और मूल्यांकन परीक्षा के आवेदकों को देय प्रतिदायों के लिए हैं और (iv) 25,00,000/- रुपए एक दिवाला व्यावसायिक पर उद्गृहीत शास्ति के राशि से संबंधित हैं, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के आधार पर नियत निक्षेप के रूप में रखे गए हैं। (पूर्व वर्ष - 28,42,796/- रुपए)।

10. प्रावधान

10.1 ग्रेड-ए के अधिकारियों के लिए उपदान की बाबत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 12,84,627/- रुपए का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए, उनके मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार 4,93,378/- रुपए का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष - 12,42,720/- रुपए) ।

10.2 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के नियमों के अनुसार या मूल संगठन से प्राप्त आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति फायदों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान के लिए 11,40,789/- रुपए की राशि और पेंशन के लिए 15,11,838/- रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है । बोर्ड ने उन अधिकारियों के लिए, जो बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं, छुट्टी वेतन के लिए 16,31,321/- रुपए का प्रावधान भी किया है ।(पूर्व वर्ष - 51,56,465/- रुपए) ।

10.3. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसरण में, जिसमें यह उपबंध है कि *"छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा । अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय उनके पास जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का भुगतान करवाने के हकदार होंगे।"*, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों (डब्ल्यू.टी.एम.) के लिए 13,56,667/- रुपए के और अन्य अधिकारियों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 के अनुसार 31,81,582/- रुपए के छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान किया गया है ।(पूर्व वर्ष - 28,63,182/- रुपए) ।

10.4 किराए के प्रावधान के अंतर्गत जीवन विहार भवन के दूसरे तल पर कार्यालय स्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंतरिक प्रोद्भवनों में से किए गए 98,18,000/- रुपए की राशि के किराए के प्रावधान को चालू वित्तीय वर्ष में पुरांकित किया गया है और उसे प्रकीर्ण आय माना गया है । ऐसा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 6 दिसम्बर, 2017 के पत्र के अनुसरण में किया गया है, जिसमें यह उपदर्शित किया गया है कि कार्यालय किराए का भुगतान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । इसके प्रत्युत्तर में, बोर्ड ने तारीख 23 जुलाई, 2018 के पत्र

द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय से बिलों का भुगतान करते रहने और उसे बोर्ड के अनुदानों मे से समायोजित करने का अनुरोध किया था । इसके अतिरिक्त, एन.डी.एम.सी. को, दिसम्बर, 2018 से मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए, 20,000 रुपए प्रतिमास की दर से संदेय कार पार्किंग के किराए मद्धे 5,60,000/- रुपए के लिए प्रावधान कार पार्किंग स्थल की किराया सेवाओं मद्धे बोर्ड के नियत दायित्व पर आधारित है । चूंकि विक्रेता ने दिसम्बर, 2018 के बाद कार पार्किंग स्थल के लिए कोई बिल नहीं दिया है इसलिए इस प्रावधान के समुचित समायोजन के लिए विक्रेता के साथ इस विषय पर कार्यवाही की जा रही है।

10.5 बोर्ड के सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को संदेय 26,00,518/- रुपए के बकाया वेतन और भत्तों के लिए प्रावधन किया गया है । (पूर्व वर्ष - 20,00,098/- रुपए) ।

10.6 चालू वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए कानूनी लेखापरीक्षा और संव्यवहार लेखापरीक्षा और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सी. एंड ए.जी. और आंतरिक लेखापरीक्षकों को संदेय 6,99,130/- रुपए की लेखापरीक्षा फीस (टी.डी.एस. के बाद शुद्ध) का प्रावधान किया गया है । (पूर्व वर्ष - 99,000/- रुपए) ।

10.7 2,60,924/- रुपए की राशि के प्रावधानों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से अग्रनीत किया गया है । चूंकि संबंधित विक्रेताओं ने अब तक अंतिम बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं इसलिए प्रावधान यथावत रखे गये है । इस मामले के संबंध में प्रत्येक विक्रेता के साथ समुचित समायोजन के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

11. अवमूल्यन

11.1 अवमूल्यन के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्न प्रकार उपबंध किया जाता है:

आस्तियां	अवमूल्यन की दर
कम्प्यूटर/पेरिफेरल/साफ्टवेयर/हार्डवेयर	40%
कार्यालय उपस्कर तथा फर्नीचर और फिक्सचर	10%
भवन	10%
वैबसाइट	25%

11.2 नेशनल इनफॉरमैटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक (एन.आई.सी.एस.आई.) से कर बीजकों की प्राप्ति पर स्थिर आस्तियां शीर्ष के अधीन वैबसाइट तैयार करने लेखे 53,00,211/- रुपए की राशि (जी.एस.टी. के बाद शुद्ध) का लेखांकन वैबसाइट के रूप में किया गया है । 63,43,984/- रुपए की शेष राशि को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है । परियोजनाओं के पूरा होने और विक्रेता से कर बीजक प्राप्त होने पर इसे संबंधित नियत आस्तियों के रूप में लेखाओं में लिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, एन.आई.सी.एस.आई. को विभिन्न ऑनलाइन माड्यूल और वैबसाइट तैयार करने के कारण संदेय 59,77,083/- रुपए की राशि चालू पूंजीगत कार्य/विकासाधीन आस्तियों के रूप में दर्शाई गई है । (पूर्व वर्ष - 1,25,98,231/- रुपए) ।

11.3 पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय माना जाता है और उन्हें आय और व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है ।

12. निवेश

(i) अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) दायित्व के लिए 3,32,98,183/- रुपए (ब्याज सहित) की राशि का, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के पास नियत और आवर्ती निक्षेपों में निवेश किया गया है; (ii) बोर्ड के उपदान संबंधी दायित्व के लिए 9,44,593/- रुपए (ब्याज सहित) की राशि इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के पास

नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है और (iii) एक दिवाला व्यावसायिक द्वारा जमा की गई शास्ति के लिए 26,00,912/- रुपए (ब्याज सहित) की राशि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के आधार पर पंजाब एंड सिंध बैंक के पास नियत निक्षेप के रूप में रखी गई है । (पूर्व वर्ष - 2,53,49,789/- रुपए (ब्याज सहित) ।

13. चालू आस्तियां - ऋणी

1,82,454/- रुपए के ऋण - "अन्य" का संबंध दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और परीक्षा प्रशासकों से शोध्य फीस से है । (पूर्व वर्ष - 35,576/- रुपए) ।

14. नकद अतिशेष

14.1 बोर्ड ने खुदरा नकदी की अग्रदाय व्यवस्था बनाई हुई है जिसकी अनुमोदित सीमा 50,000/- रुपए है ।

14.2 बोर्ड के पास 31 मार्च, 2020 को यथा-विद्यमान 100 अमेरिकी डालर और 6700 ज़ार की नकदी विदेशी मुद्रा को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रुपयों (आई.एन.आर.) में संपरिवर्तित करा लिया गया है। इस संव्यवहार के कारण उद्भूत होने वाले विनिमय अंतर को ए.एस.-11 के अनुसार आय/व्यय के रूप में माना गया है।

15. बैंक खातों में रखे अतिशेष

पंजाब नेशनल बैंक में रखे अतिशेष में निम्नलिखित रकमें शामिल हैं:

चालू खाते में (आंतरिक प्राप्तियां) - 2,17,111.92 रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष - 2,13,450.34 रुपए (जमा)।

चालू खाता (अनुदान) में - 1,06,772.30 रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष - 32,804.90 रुपए (नामे) ।

चालू खाता (समापन) में - 94,11,837.74 रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष - 13,50,105.22 रुपए) (नामे) ।

चालू खाता (स्वैच्छिक समापन) में - 1,15,46,534.33 रुपए (नामे) (पूर्व वर्ष - 10,35,958.85 रुपए) (नामे)।

चालू खाता (शास्ति) - 3,059/- (नामे) (पूर्व वर्ष - शून्य)

स्वीप खातों मे – 9,70,50,000/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 6,87,50,000/- रुपए) ।

आवधिक जमा खातों में - 10,39,67,849/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 7,17,18,518/- रुपए) ।

16. पूर्वसंदत्त व्यय:

16.1 शासी बोर्ड ने 27 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आई.आई.सी.ए.) में तीन वर्ष की अवधि के लिए आई.बी.बी.आई. दिवाला पीठ स्थापित करने का विनिश्चय किया था जिसके लिए एक ही बार में एक करोड़ रुपए का विन्यास अनुदान किया गया था । बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार आई.आई.सी.ए. द्वारा उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपए की राशि का क्रमिक अपाकरण किया जा रहा है । (चालू वर्ष - 95,63,108/- रुपए) (पूर्व वर्ष - 97,76,644/- रुपए) ।

16.2. 49,78,259/- रुपए के शेष अग्रिम, विक्रेताओं से संबंधित हैं जो नियमित स्वरूप के हैं । (पूर्व वर्ष- 73,40,403/- रुपए) ।

17. फीस/अभिदान (अनुसूची XIII)

17.1 फाइल करने की फीस/आवेदन फीस: इसके अंतर्गत नीचे दिए गए स्रोतों से प्राप्त फीस शामिल है:

क) दिवाला व्यावसायिक: संहिता की धारा 196(1)(ग) में उपबंधित है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं से फीस**

और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप क में दस हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वाकीर किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 50,60,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 55,40,000/- रुपए) ।

ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।**

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी) विनियम, 2016 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) एक कंपनी जो दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है बोर्ड को इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क दस लाख रुपए के साथ आवेदन कर सकती है ।

(2) एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसे विनियम 5 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के छह महीने पहले इन विनियमों की अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को अप्रतिदेय आवेदन शुल्क पांच लाख रुपए के साथ नवीकरण के लिए आवेदन कर सकती है ।

....."।

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) में यह उपबंध किया गया है कि रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अध्यधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक एजेंसी -

"(क) .....

(ख) .....

(ग) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपए का शुल्क अदा करेगी, उस वर्ष के बाद जिसमें प्रमाणपत्र जारी किया या नवीकृत किया गया था....."।

विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (3) में यह उपबंधित है कि *"रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा"* ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है ।

वार्षिक फीस, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को मानी जाती है । चालू वर्ष - 15,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष -15,00,000/- रुपए) ।

ग) सूचना उपयोगिताएं: संहिता की धारा 196(1)(ग) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उदग्रहण करेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है" ।**

इसके अलावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) लिनियम, 2017 के विनियम 4 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) सूचना उपयोगिता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र कोई व्यक्ति पांच लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को आवेदन कर सकता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाने की इच्छुक कोई सूचना प्रतियोगिता अपना रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने से कम से कम छह मास पहले पांच लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ अनुसूची के प्ररूप क में बोर्ड को नवीकरण के लिए आवेदन करेगी ....."।

विनियमों के विनियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इन शर्तों के अधीन होगा कि सूचना उपयोगिता -

(क).....

(ख).....

(ग).....

(घ) बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण, जो भी लागू हो, की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, बोर्ड को पचास लाख रुपए की फीस का भुगतान करेगी ;

"(ङ) बोर्ड को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पचास लाख रुपए की वार्षिक फीस का संदाय करेगी:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी को यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण प्रदान किया जाता है, कोई वार्षिक फीस संदेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड, जैसा कि वह उचित समझे, किसी इनफॉरमेशन यूटिलिटी द्वारा फीस के संदाय में किए गए किसी विलंब को तब तक बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लगेगा, जब तक उसका संदाय नहीं कर दिया जाता है ।

..... "।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । वार्षिक फीस, सूचना उपयोगिताओं से फीस के प्रोद्भवन की तारीख को मानी जाती है । चालू वर्ष - 50,19,016/- रुपए (ब्याज सहित) (पूर्व वर्ष - 50,00,000/- रुपए) ।

घ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक: केन्द्रीय सरकार ने, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3401 (अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 247 के अधीन उसमें निहित शक्तियों और कृत्यों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड को प्रत्यायोजित किया है ।

इसके अलावा, कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 6 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में पांच हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपाबंध-II के प्ररूप क में आवेदन कर सकता है ।

(2) नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु कोई पात्र भागीदारी अस्तित्व या कंपनी प्राधिकरण के पक्ष में दस हजार रुपए के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क सहित उपाबंध-II के प्ररूप ख में आवेदन कर सकती है ।

....."।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 48,85,000/- रुपए (पूर्व वर्ष- 94,15,000/- रुपए) ।

ङ) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन: कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 13 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"(1) कोई पात्र संगठन, जो नियम 12 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, आस्ति वर्ग या आस्ति वर्गों के लिए एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु उपाबंध-II के प्ररूप-घ में प्राधिकरण के पक्ष में एक लाख रुपए का गैर-वापसी योग्य भुगतान आवेदन शुल्क देकर आवेदन कर सकता है ।

....."।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 4,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 1,00,000/- रुपए) ।

च) दिवाला व्यावसायिक संस्था : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"उप-विनियम (1) के अधीन पात्र कोई व्यक्ति बोर्ड की किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में पचास हज़ार रुपए की आवेदन फीस सहित आवेदन कर सकता है ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने तक रजिस्ट्रीकरण फीस अग्रिम शीर्ष में लेखंकित

की जाती है । रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने पर इसे फीस/अभिदान शीर्ष के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में और आवेदन अस्वीकार किए जाने पर प्रकीर्ण आय के रूप में दर्शाया जाता है । चालू वर्ष - 7,00,000/- रुपए (पूर्व वर्ष - 11,50,000/-) ।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -

(क) हमेशा विनियम (12) के अधीन अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;

(ख) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार नहीं रहता है, जैसा भी मामला हो, तो सात दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा;

(ग) *यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसका निदेशक या भागीदार, जैसा भी मामला हो, के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सात दिन के भीतर बोर्ड को दूसरी अनुसूची के प्ररूप च में दो हजार रुपए की फीस सहित सूचित करेगा..... ।"*

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 5 के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से प्ररूप च में प्राप्त सूचना के आधार पर माना जाता है । चालू वर्ष - 2,75,799/- रुपए (पूर्व वर्ष - 3,70,340/-) ।

छ) परीक्षा फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड सीमित दिवाला परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है। बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.एस.ई.-आई.टी. लिमिटेड को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है चूंकि यह राशि अप्रतिदेय है । चालू वर्ष - 67,69,068/- रुपए (पूर्व वर्ष - 75,33,051/- रुपए) ।

कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 5 के उप-नियम (1) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"प्राधिकरण ऐसे व्यष्टियों के लिए, जो नियम 4 में यथा-विनिर्दिष्ट अर्हता या अनुभव रखते हैं और किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन के सदस्य के रूप में अपना शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, एक या अधिक आस्ति वर्गों के लिए उनके मूल्यांकन संबंधी वृतिक ज्ञान, कौशल, मूल्य और नैतिक जांच के लिए या तो स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करेगा ।"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड मूल्यांकन परीक्षा के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । बोर्ड ने इस परीक्षा के संचालन के लिए एन.आई.एस.एम. को परीक्षा प्रशासक के रूप में नियोजित किया है । परीक्षा के लिए प्राप्त फीस को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि अभ्यर्थी परीक्षा में कब बैठता है, प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है चूंकि यह राशि अप्रतिदेय है । चालू वर्ष - 1,51,94,136/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 1,39,78,288/-)

ज) आई.पी./आई.पी.ई. से व्यावसायिक फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:-

"यह रजिस्ट्रीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक -

(क).....

(ख).....

(ग).....

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा दिवाला व्यावसायिक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अर्जित व्यावसायिक फीस के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप ङ में की विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा;

....."।

विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था -

(क).....

(ख).....

(ग).....

(गक) बोर्ड को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से हुए आवर्त के 0.25 प्रतिशत की दर पर संगणित फीस का संदाय, दूसरी अनुसूची के प्ररूप छ में विवरणी सहित प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या उससे पूर्व करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए, कोई दिवाला व्यावसायिक इस खंड के अधीन फीस का संदाय 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व करेगा;

....."।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 15 में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड जैसा कि वह संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन उचित समझे, किसी दिवाला व्यावसायिक या किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा फीस के संदाय में विलंब करने पर, इन विनियमों के अधीन फीस का संदाय करने की अंतिम तारीख के पश्चात् असंदत्त फीस की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बोर्ड को संदत्त किया जाएगा"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड अध्याय 3 और अध्याय 5 के अधीन आवर्त पर आधारित फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । इस फीस को दिवाला व्यावसायिकों और दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं से क्रमशः प्ररूप ङ और प्ररूप छ में प्राप्त सूचना के आधार पर मान्यता दी जाती है । चालू वर्ष - 1,13,69,948 रुपए । (पूर्व वर्ष - 87,55,896/- रुपए) ।

झ) सी.आई.आर.पी. प्ररूप फाइल करने से फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में दिवाला व्यावसायिकों द्वारा कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया से संबंधित प्ररूप फाइल करने के लिए उपबंध किया गया है । इसके आगे, विनियम 40ख के उप-विनियम (4) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"इस विनियम के अधीन या तो सुधार, अद्यतन करने या अन्यथा, प्रस्तुत किए जाने की तारीख के पश्चात् प्ररूप फाइल करने पर उसके साथ 1 अक्तूबर, 2020 के पश्चात् विलंब के प्रत्येक कलैंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रुपए की फीस संलग्न की जाएगी"

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड विनियम 40ख के अधीन अनुपालन के लिए फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संगृहीत फीस 25,73,500/- रुपए है । (पूर्व वर्ष - शून्य)।

17.2 सेमीनार/कार्यक्रम फीस: संहिता की धारा 196(1)(कक) में यह उपबंध किया गया है कि बोर्ड **"इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने में दिवाला व्यावसायिकों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा ।"**

इसके अलावा, धारा 196(1)(ग) बोर्ड को इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस या अन्य प्रभार उद्गृहीत करने के लिए सशक्त करती है, जिसके अंतर्गत दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण के लिए फीस भी है ।

बोर्ड, राष्ट्रव्यापी कोविड-19 महामारी के कारण, दिवाला व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है । अतः, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेमीनार/कार्यशाला फीस को मान्यता नहीं दी गई है । (पूर्व वर्ष - 11,16,000/- रुपए) ।

17.3 शिकायत और परिवाद फीस: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में निम्न प्रकार उपबंध किया गया है:

"ऐसा पणधारी, जो कोई परिवाद फाइल करना चाहता है, उसे बोर्ड के समक्ष प्ररूप क में फाइल करेगा और उसके साथ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय दो हजार पांच सौ रुपए का मांगदेय ड्राफ्ट या बोर्ड के खाते में फीस मद्धे संदत्त दो हजार पांच सौ रुपए की आनलाइन अभिस्वीकृति लगाई जाएगी ।"

इसके अतिरिक्त, विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (8) में यह उपबंध है कि *"जहां बोर्ड की यह राय है कि परिवाद तुच्छ नहीं है वहां वह विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन प्राप्त दो हजार पांच सौ रुपए की फीस का प्रतिदाय करेगा"* । प्राप्त की गई फीस "आस्थगित उधार दायित्व" शीर्ष के अधीन दर्शाई जाती है और यदि बोर्ड द्वारा शिकायत/परिवाद को तुच्छ पाया जाता है तो इसे आय माना जाता है । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार की गई आय 52,966/- रुपए है । (पूर्व वर्ष - 78,390/- रुपए) ।

18. अर्जित ब्याज: चालू वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के अंतर्गत ये हैं - (i) पंजाब नेशनल बैंक में स्वीप सुविधा वाले चालू खाते में अर्जित ब्याज - 5,21,159/- रुपए; और (ii) नियत निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज - 48,17,164/- रुपए । (पूर्व वर्ष - 53,08,672/- रुपए) ।

19. पूर्व अवधि के ऐसे व्यय, जिन्हें चालू वर्ष में स्वीकार किया गया है; (i) अमेज़न इंटरनेट सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी, 2020 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए विक्रेता द्वारा प्रदान की गई वैब सेवाओं के लिए 9,551/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; (ii) रेलटैल कारपोरेशन को 20.09.2019 से 19.09.2020 तक की अवधि के लिए इंटरनेट पोर्ट प्रभारों के लिए विक्रेता से कर बीजक प्राप्त होने पर 3,15,478/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; (iii) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को बोर्ड के आरंभ से मार्च, 2019 तक की

अवधि के लिए कानूनी और संव्यवहार लेखापरीक्षा फीस के लिए 8,40,930/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है । इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कानूनी और संव्यवहार लेखापरीक्षा फीस के लिए प्रावधान के रूप में 3,12,130/- रुपए की राशि रखी गई है; (iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित विधिक व्ययों के लिए 24,37,500/- रुपए की राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया है; (v) साफ्टलैब्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और अलंकार डिस्ट्रीब्यूटर्स को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रिंटर कार्टेजेज़ के क्रय मद्धे क्रमशः 21,434/- रुपए और 44,160/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; (vi) साफ्टलैब्स इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एम.एस.ऑफिस के क्रय मद्धे 32,797/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; (vil) बॉमर लॉरी एंड कंपनी को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित यात्रा बिलों और होटल वास सुविधा मद्धे 87,489/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; (viii) डिग्री 360 सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी से मार्च, 2020 की अवधि के लिए त्रैमासिक न्यूज़लैटर के मुद्रण मद्धे 73,920/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है; और (ix) वैभवी इंफोटेक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान मुद्रण और लेखन-सामग्री मदों के क्रय मद्धे 5,05,153/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया है ।

20. वित्तीय विवरणियों को भारतीय जी.ए.ए.पी. के अनुरूप तैयार करने के लिए बोर्ड से ऐसे प्राक्कलन और ऐसी उपधारणाएं करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणियों में आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं । यद्यपि यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयोग में लाए गए प्राक्कलन विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं तथापि वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं । वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के बीच जो अंतर है उसे उस अवधि में, जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/फलीभूत होते हैं, सुसंगत लेखा शीर्षों में आय/व्यय के रूप में माना जाना है ।

21. पूर्व वर्ष के तत्स्थानी आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

22. अनुसूची । से अनुसूची XXIII उपाबद्ध की जाती हैं और वे 31 मार्च, 2021 को यथा-विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न भाग गठित करती है ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
(डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय)	**(डॉ शशांक सक्सेना)**	**(डॉ एम. एस. साहू)**
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त एवं लेखा)	**अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति**	**अध्यक्ष**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख: 24.09.2021

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

क. मुख्य रिपोर्ट		
पैरा	**लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर**
क.1.1	**सी.डब्ल्यू.आई.पी./विकासाधीन आस्तियां: 1.23 करोड़ रुपए** आई.बी.बी.आई. ने ई-ऑफिस, जिसके अंतर्गत फाइल प्रबंधन प्रणाली, ई-फाइल एम.आई.एस. रिपोर्ट, जानकारी प्रबंधन प्रणाली, कर्मचारी मास्टर ब्यौरा, मास्टर डाटा प्रबंधन, दौरा प्रबंधन प्रणाली, छुट्टी प्रबंधन प्रणाली और छुट्टी एम.आई.एस. रिपोर्टें भी हैं, के क्रियान्वयन का कार्य एन.आई.सी.एस.आई. को आई.बी.बी.आई. मयूर भवन में किसी अनुकूलन के बिना सौंपा था और तारीख 28 सितम्बर, 2017 को 20.20 लाख रुपए का भुगतान किया था । छुट्टी प्रबंधन प्रणाली और छुट्टी एम.आई.एस. रिपोर्टों के सिवाय, सभी माड्यूल 12 नवम्बर, 2018 से प्रवर्तनशील हैं । चूंकि ई-ऑफिस के छुट्टी माड्यूल में शामिल छुट्टी नियम, आई.बी.बी.आई. के छुट्टी नियमों से संगत नहीं हैं इसलिए उनका प्रस्तुत रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था और इसलिए आई.बी.बी.आई. के बोर्ड ने (2021-22 में) छुट्टी मॉड्युल को कार्यालय में तैयार कराने का विनिश्चय किया । इस प्रकार, ई-ऑफिस के सृजन के लिए 20.20 लाख रुपए के भुगतान को चालू पूंजीगत कार्य के अधीन दर्शाने की बजाय, वर्ष 2018-19 में पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, नवम्बर, 2018 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए अवमूल्यन का भी, जो 20.20 लाख रुपए बनता है (2018-19: 4.04 लाख रुपए, 2019-20: 8.08 लाख रुपए और 2020-21: 8.08 लाख रुपए) प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सी.डब्ल्यू.आई.पी. को 20.20 लाख रूपए अधिक, पूर्व वर्षों के अवमूल्यन को 12.12 लाख रुपए कम और चालू वर्ष के अवमूल्यन को 8.08 लाख रुपए कम दर्शाया गया है । परिणामस्वरूप, वर्ष के अधिशेष को 8.08 लाख रुपए अधिक और समग्र निधि को 12.12 लाख रुपए अधिक दर्शाया गया है ।	ई-ऑफिस माड्यूल को सी.एंड.ए.जी. के प्रेक्षणों के निबंधनानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजीकृत किया जाएगा। लेखा-टिप्पणों में समुचित प्रकटन किए जाएंगे ।
ख.1	**अनिश्चित दायित्व और लेखायों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची XXIII)** **नोट सं.** 9.7 आई.बी.बी.आई. ने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है	वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा-टिप्पणों में समुचित प्रकटन किए जाएंगे ।

	कि भारत के लोक लेखा के अधीन कारपोरेट समापन खाता खोलने के पश्चात्, किसी समापन प्रक्रिया में अदावाकृत लाभांश और अवितरित आगमों के निक्षेप के लिए खोले गए पृथक् खाते में पड़े अतिशेष को कारपोरेट समापन खाते में अंतरित किया जाएगा। इस प्रकार, नोट में उपर्युक्त सीमा तक कमी है ।	

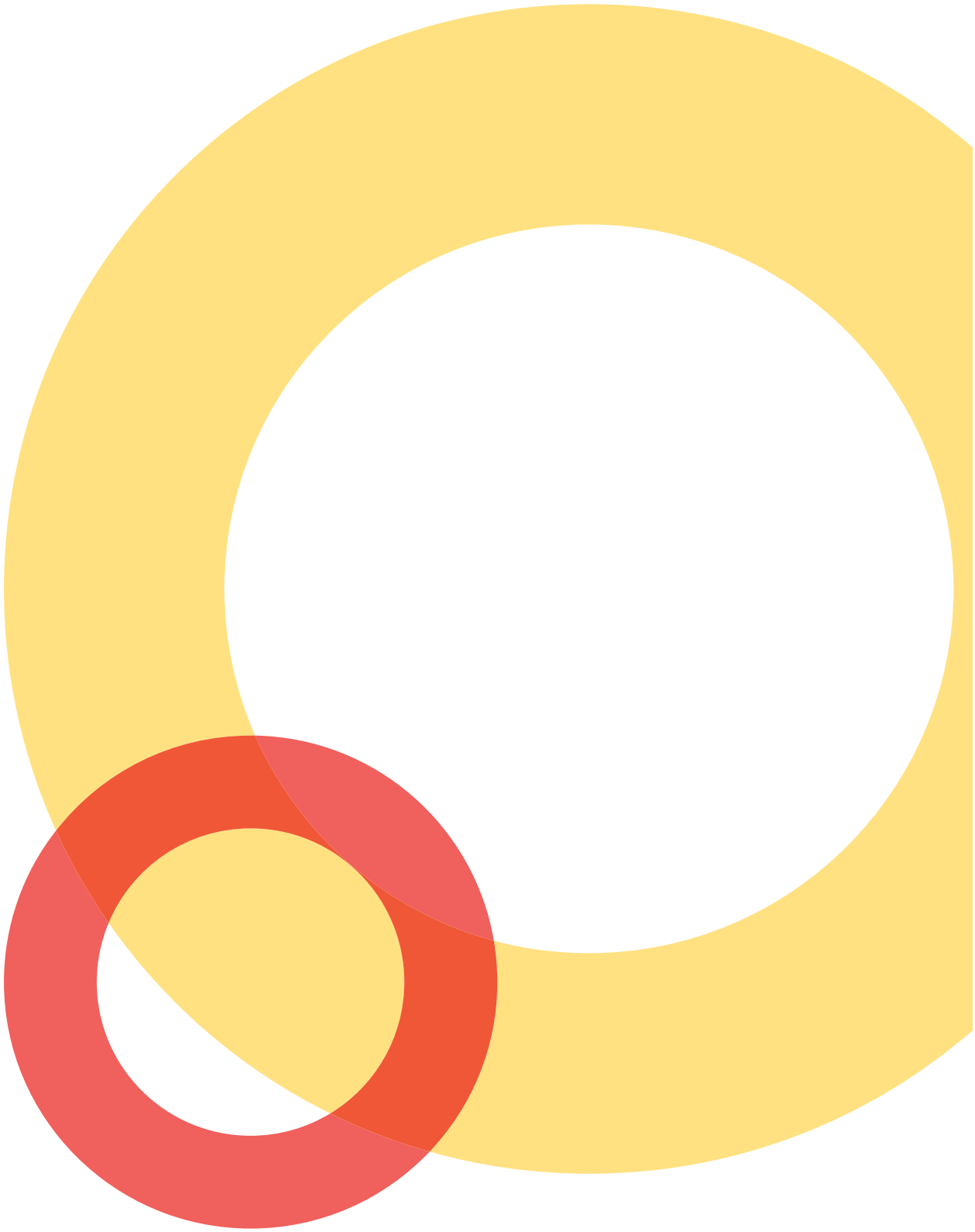

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

सातवां तल, मयूर भवन,
शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 110001

www.ibbi.gov.in